



2026:AHC:129704

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21122/2026

अनिकेत

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: पवन कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री पवन कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 289/2025, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20बी(ii)सी, थाना- टी.पी. नगर, जिला- मेरठ में, विचारण की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. एफ.आई.आर. के अभिकथनों के अनुसार, यह कहा गया है कि दिनांक 25.05.2025 को सूचनाकर्ता एस.आई. राहुल कुमार सिंह पुलिस मुखबिर की सूचना पर पुलिस दल के साथ सुभारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ के निकट पहुंचे। उस स्थान पर, उन्होंने बोलेरो मैक्स पिकअप संख्या यू.पी. 19एटी 5220 तथा मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर संख्या यू.पी. 12बीएस 4118 के साथ अभियुक्त आवेदक सहित अन्य सह-अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया तथा चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। नामित अभियुक्तों के संयुक्त कब्जे से कुल 123 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया। तत्पश्चात अभियुक्तों को थाने ले जाया गया तथा समुचित विवेचना और साक्ष्य के पश्चात, न्यायालय द्वारा सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ *चालान* पेश किया गया।

4. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि एफ.आई.आर. में नामित अभियुक्तगण, यथा जॉनी कुमार, अनुज कुमार, जतिन कुमार तथा रचित कुमार को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। हालांकि, अनुज कुमार के जमानत आदेश की प्रति इस जमानत आवेदन के साथ दायर नहीं की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अभियुक्त-आवेदक की भूमिका इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किए गए अन्य अभियुक्तगण के समान तथा समान आधार पर है। दिनांक 25.05.2025 की बरामदगी फ़र्द से यह प्रकट होता है कि वर्तमान अभियुक्त-आवेदक अनिकेत, जॉनी कुमार तथा जतिन कुमार के मध्य बैठा हुआ था। अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त आवेदक को समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए। आवेदक दिनांक 25.05.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का घोर विरोध किया है, किंतु ईमानदारी और पारदर्शिता से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एफ.आई.आर. में नामित अन्य सह-अभियुक्तगण को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने इस तथ्य पर भी विवाद नहीं किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों और प्रति-तर्कों को सुनने के पश्चात, तथा अभिलेख पर उपलब्ध एफ.आई.आर., बरामदगी फ़र्द और अन्य पुलिस पत्रावलियों के परिशीलन से, यह प्रकट होता है कि अभियुक्तगण से 122 किलोग्राम अवैध *गांजा* की संयुक्त बरामदगी की गई है, यहां तक कि यह भी कहा गया है कि वह बोलेरो मैक्स पिकअप संख्या यू.पी. 19एटी 5220 में जॉनी कुमार तथा जतिन कुमार के मध्य बैठा हुआ था। अभिलेख के परिशीलन से यह भी प्रकट होता है कि अन्य अभियुक्तगण को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है, तथा अभियुक्त-आवेदक अनिकेत का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, अभिकथनों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता, दंड की गंभीरता, प्रकरण में प्रकट होने वाले साक्ष्य, विशेष रूप से इस तथ्य को कि *प्रथम दृष्टया* यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, को दृष्टिगत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रखते हुए, किंतु गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त प्रकरण पाता है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. आवेदक, अनिकेत को मुकदमा अपराध संख्या 289/2025, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20बी(ii)सी, थाना- टी.पी. नगर, जिला- मेरठ के संबंध में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा, जिसका उस पर अभियोग है या जिसके कारित करने का उस पर संदेह है।
- v) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा।

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी)

30 जून, 2026

एनएससी